निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
05/2020	16.10.2020	04.2.2021

1.शेरसिहं पुत्र रामस्वरूप आयु 63 वर्ष जाति जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।

——वादी

वनाम

1.अनूपसिहं पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी बडोली तहसील वजीरपुर।
2.चिन्तादेवी पत्नि लेखराज जाति मीना निवासी बडोली तहसील वजीरपुर।
3.प्रीति पत्नि हरकेश जाति मीना निवासी परीता तहसील व जिला करौली।
4.रीना देवी पत्नि राजेन्द्रसिहं जाति जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
5.श्रीमति पत्नि हरिसिहं जाति जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
6.सावित्री देवी पत्नि लक्ष्मणसिहं जाति जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
7.उर्मिला बेवा सरदारलाल जाति ब्राम्हण निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
8.बृजेश पुत्र सरदार लाल जाति ब्राम्हण निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
9.मीनू पुत्री सरदारलाल पत्नि अवधेश जाति ब्राम्हण निवासी कांकररेती तहसील गंगापुर सिटी।
10.सीमा पुत्री सरदारलाल पत्नि नरेश जाति ब्राम्हण निवासी कुसांय तहसील वजीरपुर।
11.कृष्णा पुत्री सरदारलाल पत्नि मनोज जाति ब्राम्हण निवासी आसाकी तहसील सपोटरा जिला करौली ।
12.मनीषा पुत्री सरदारलाल पत्नि सतीश जाति ब्राम्हण निवासी राजोली तहसील टोडाभीम जिला करौली ।
13.लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार वजीरपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादी की और से

निर्णय

वादी द्वारा वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 1947 रकबा 0.29 हैक्टर वाके ग्राम वजीरपुर तहसील वजीरपुर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। जिससे पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि से लाभांवित होते चले आ रहे हैं। यह कि वाद पत्र के मद नं0 1 में

जिला कलेक्टर
जीरपुर (स0मा0)

वर्णित भूमि का मौके पर मौखिक रूप से खातेदारी में दर्ज हिस्से अनुसार आपसी सहमति से पक्षकारान ने विभाजन कर रखा है तथा वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है। खातेदार सरदार पुत्र रतनलाल फौत हो चुका है प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 12 उसके वारिसान है तथा स्वयं को भूमि में मृतक के हिस्से के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। उपरोक्त भूमि में वादी का हिस्सा 5/58, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 127/2900, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 67/5800, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 67/2900, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 89/17400 + 699/11600, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 89/17400, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 89/17400 + 699/11600 तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 का हिस्सा 4057/5800 है तथा इसी अनुसार पक्षकारान मौखिक विभाजन अनुसार अपने अपने हिस्सों पर काबिज रहकर भूमि से लाभांवित होते चले आ रहे है । परन्तु कुछ समय से प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि में वादी को व्यवधान पैदा करना प्रारंभ कर दिया, जिस पर दिनांक 5.2.2020 को वादी ने प्रतिवादीगण से जब इस का कारण पूछा तो कहने लगे कि हम किसी मौखिक विभाजन को नही मानते, इस पर वादी ने कहा कि हम सबने मौखिक विभाजन कर अपनी अपनी हिस्से व कब्जे की भूमि के चारों ओर बाउण्डरी का निमार्ण कर लिया है,फिर किस बात की आपत्ति है, तो उन्होने धमकी देकर कहा कि हम तो नये सिरे से विभाजन करेगें। इस पर वादी ने कहा कि जब मौके पर सबके अपने अपने हिस्से पर निमार्ण है तो पुनः विभाजन का क्या मतलब है। फिर भी यदि तुम यही चाहते हो तो पटवारी के पास चलकर विभाजन तहसील मे कर लेते हैं,इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि हम कहीं भी नही जायेगें एवं मौखिक विभाजन को भी नही मानेगें। इसलिए वादी को यह दावा बाबत् विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि वाद कारण दिनांक 5.2.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक विभाजन को मानने से इन्कार करने तथा सहमति से तहसील में चलकर विभाजन करने के लिए मना करने पर उत्पन्न हुआ है। यह कि भूमि खसरा नं0 1947 रकवा 0.29 हैक्टर वाके ग्राम वजीरपुर तहसील वजीरपुर का विभाजन रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार किया जाकर वादी के हिस्से 5/58 की भूमि का खाता पृथक से कायम किया जावे आवश्यकता हो तो पृथक से खसरा नम्बर कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वंय करे न अन्य से करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा नं0 1947 रकवा 0.29 हैक्टर भूमि का विभाजन अपने अपने हिस्से मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार एवं मौखिक विभाजन द्वारा काबिज भूमि का विभाजन कराने की सहमति प्रकट की गई। प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 12 बावजूद सूचना उपस्थित नही प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

ला कलेक्टर
ुर (स०भा०)

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबंदी हाल सम्वत्
076–79 खाता संख्या 15,तथा नक्शा ट्रेस पेश किये हैं।

बहस वादी सुनी गई विद्वान अभिभाषक वादी ने अपने वाद पत्र अनुरूप बहस करते हुए बताया कि विवादित भूमि खसरा नं0 1947 रकवा 0.29 हैक्टर ग्राम वजीरपुर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है पक्षकारान द्वारा भूमि का विभाजन मौखिक सहमति से कर रखा है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज है इसी अनुसार रिकार्ड में दर्ज हिस्से अुनसार भूमि का विभाजन कर दिया जावे। भूमि में वादी का हिस्सा 5/58, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 127/2900, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 67/5800, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 67/2900, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 89/17400 + 699/11600, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 89/17400, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 89/17400 + 699/11600 तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 का हिस्सा 4057/5800 रिकार्ड में दर्ज है, वादी का हिस्से में रिकार्ड दर्ज अनुसार खाता पृथक कर दिया जावे। प्रतिवादी 1 लगायत 6 ने स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर भूमि का विभाजन रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन करने के लिए सहमत होना अंकित किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली व उसमें पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली में प्रस्तुत फोटोप्रति नकल जमाबंदी अनुसार वादी का हिस्सा 5/58 दर्ज है तथा इसी अनुसार वादी द्वारा भूमि का विभाजन चाहा गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने भी अपनी सहमति प्रकट की है तथा रिकार्ड व मौके पर कब्जे अनुसार भूमि का विभाजन करने में सहमति दी है। प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 12 बावजूद सूचना उपस्थित नही है। दावा वादी बाबत् विभाजन भूमि प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादी बाबत् विभाजन भूमि प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा नंम्बर 1947 रकवा 0.29 हैक्टर ग्राम वजीरपुर तहसील वजीरपुर को रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु तहसीलदार वजीरपुर को 1000/– रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता वह विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी 08-4-2021 से पूर्व न्यायालय में पेश करें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04 .2.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप ज़िला कलेक्टर
वजीरपुर

री व मुकदमे इब्तदाई
डर 20, रूल 6–जाबता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
लास नरेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०

उनवान

रसिहं पुत्र रामस्वरूप आयु 63 वर्ष जाति जाट निवासी वजीरपुर तहसील
जीरपुर।

---वादी

बनाम

नूपसिहं पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी बडोली तहसील वजीरपुर।
चेन्तादेवी पत्नि लेखराज जाति मीना निवासी बडोली तहसील वजीरपुर।
ीति पत्नि हरकेश जाति मीना निवासी परीता तहसील व जिला करौली।
ीना देवी पत्नि राजेन्द्रसिहं जाति जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
श्रीमति पत्नि हरिसिहं जाति जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
सावित्री देवी पत्नि लक्ष्मणसिहं जाति जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
उर्मिला बेवा सरदारलाल जाति ब्राम्हण निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
बृजेश पुत्र सरदार लाल जाति ब्राम्हण निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
मीनू पुत्री सरदारलाल पत्नि अवधेश जाति ब्राम्हण निवासी कांकररेती तहसील गंगापुर सिटी।

0.सीमा पुत्री सरदारलाल पत्नि नरेश जाति ब्राम्हण निवासी कुसांय तहसील वजीरपुर।

11.कृष्णा पुत्री सरदारलाल पत्नि मनोज जाति ब्राम्हण निवासी आसाकी तहसील सपोटरा जिला करौली ।

12.मनीषा पुत्री सरदारलाल पत्नि सतीश जाति ब्राम्हण निवासी राजोली तहसील टोडाभीम जिला करौली ।

13.लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार वजीरपुर।

---प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादी की और से
मुकदमा नं. – 05/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीस कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है दावा वादी बाबत् विभाजन भूमि प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा

जिला कलेक्टर
पुर (रा०मा०)

नम्बर 1947 रकबा 0.29 हैक्टर ग्राम वजीरपुर तहसील वजीरपुर को रिकार्ड हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु तह वजीरपुर को 1000/– रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) फीस पर कमीश्नर किया जाता है

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.2.2021 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर